राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–12) विभाग

क्रमांक : प.7(38)गृह–12/कारा/2016 जयपुर, दिनांक 27 APR 2016

:: आदेश ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर डी.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 2808/12 सुओमोटो बनाम राज्य में मा. उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.01.16 की अनुपालना में राज्य के समस्त केन्द्रीय/जिला/उपकारागृहों में निरूद्ध बंदियों को सप्ताह में एक बार (रविवार को) मिठाई (Sweet item) दिए जाने की स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्याधीन एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:–

1. मिठाई पर होने वाला व्यय उपलब्ध बजट प्रावधान से वहन किया जावेगा।
2. उक्त व्यय तत्संबंधी नियमों/निर्धारित प्रक्रिया दिशा निर्देशों/मापदण्डों की अनुपालना विभाग को सुनिश्चित करनी होगी ।

यह आदेश वित्त विभाग की आई. डी.संख्या 101601525 दिनांक 22.04.16 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी किया जाता है।

(के0के0शर्मा)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. महानिदेशक कारागार, राज0, जयपुर को पत्रांक सामान्य/10/64–65/पार्ट–III/59051 दिनांक 05.02.16 के क्रम में।
2. प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा) राज0, जयपुर।
3. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–4) विभाग, राज0, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय कारागार, राज0, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव